उत्तर प्रदेश शासन

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग

संख्या-6/2022/795/63-व0उ0-2022-31(एच)/2021

लखनऊः दिनांकः 27 जुलाई, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

अखिल भारतीय सेवायें (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 1954 व चिकित्सा अनुभाग-7 के शासनादेश दिनांक 02.07.1991 एवं चिकित्सा अनुभाग-6 के शासनादेश दिनांक 04.07.2000 तथा दिनांक 19.09.2014 के अन्तर्गत श्री शेषमणि पाण्डेय, सम्प्रति विशेष सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा आपातकालीन परिस्थितियों में दिनॉक 02-12-2021 से 04-01-2022 तक स्वयं के उपचारार्थ व्यय कुल धनराशि रु0 75,110/- (रु0 पचहत्तर हजार एक सौ दस मात्र) के सापेक्ष मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, प्रयागराज द्वारा परीक्षणोपरान्त अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए चिकित्सा हेतु इंगित की गयी कुल धनराशि रु0 73,678/- (रु0 तिहत्तर हजार छः सौ अठहत्तर मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-78 के लेखाशीर्षक-''2052-सचिवालय आर्थिक सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03 सचिवालय/मुख्य-49-चिकित्सा व्यय' के नामे डाला जायेगा

पी0 के0 पाण्डेय

संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- इरला चेक अनुभाग (एक अतिरिक्त प्रति/मूल बिल सहित)

3- निजी सचिव/विशेष सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(पी0 के0 पाण्डेय)

संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in